बार व तारीख
ख्य जो इस हुक्म
में जारी हुए

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 180 / 2019 / दावा 136 एलआरएक्ट

1. राजेश कुमार गीला पुत्र सांवरमल गीला निवासी गीलों की ढाणी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

—वादी

ब ना म

1. राज्य सरकार जरिये : तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

— प्रतिवादी

दावा बाबत उद्घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती
व धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति—

1. श्री आनन्द राड़ वकील वादी की ओर से।

नि र्ण य दिनांक — **04.01.2021**

1. वादपत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 251 लगायत 253, 255 किता 4 कुल रकबा 10.94 है0, खसरा नम्बर 424, 425, 428 किता 3 कुल रकबा 12.34 है0, खसरा नम्बर 426, 427, 514 लगायत 516 किता 5 कुल रकबा 13.47 है0, खसरा नम्बर 401 लगायत 403 किता 3 कुल रकबा 7.94 है0, खसरा नम्बर 400 किता 1 कुल रकबा 4.33 है0, खसरा नम्बर 469 लगायत 479, 481 किता 12 कुल रकबा 14. 65 है0 वाके ग्राम गीलो की ढाणी पटवार हल्का लाडपुर तह0 दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। उपरोक्त भूमियों में वादी राजस्व रिकार्ड अनुसार अपने हक हिस्से का काबिज काश्तकार है ओर अपने हक हिस्से की आराजियात पर बहैसियत मालिक काबिज काश्तकार निरन्तर रूप से चला आ रहा हैं। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी खातेदारी में वादी व वादी के पिता नाम राजेन्द्र पुत्र सावंरमल, राजेन्द्र कुमार पुत्र सावंरमल जाति जाट के नाम से दर्ज है। जिसमें एक रूपता नहीं है। वादी व वादी के पिता का सही व वास्तविक नाम राजेश कुमार गीला पुत्र सांवर मल गीला है। जो राशन कार्ड आधार कार्ड पैन कार्ड बैंक पास बुक कार्यालय ग्राम पंचायत लाडपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र भामाशाह कार्ड में वादी व वादी के पिता का नाम राजेश कुमार गीला पुत्र सांवरमल गीला दर्ज है। जबकि राजस्व रिकार्ड में उसका नाम राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों की गलती व

उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ

लापरवाही से वादी व वादी के पिता का नाम राजेश कुमार गीला पुत्र सांवरमल गीला की जगह राजेन्द्र कुमार, राजेन्द्र पुत्र सांवर मल, सावंरमल दर्ज हो गये जो गलत है। राजेन्द्र कुमार, राजेन्द्र पुत्र सांवरमल, सावरमल की जगह वादी व वादी के पिता का सही व वास्तविक नाम राजेश कुमार गीला पुत्र सांवरमल गीला उद्घोषित किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में संशोधन के आदेश पारित किया जाना सादर प्रार्थनीय है। उक्त दुरूस्ती करवाने हेतु वादी तहसील कार्यालय दांतारामगढ में गया तो तहसीलदार ने उक्त संशोधन करने से मना कर दिया तथा वादी व वादी के पिता का नाम आधार कार्ड के अनुसार जमाबन्दी में नहीं होने की वजह से वादी सरकारी सहायता व योजनाओं को प्राप्त करने से वंचित रह रहा है। वादी व वादी के पिता का नाम दुरूस्त किये जाने योग्य है। अतः दावा पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि दावा स्वीकार कर वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर विवादित भूमि खसरा नम्बर 251 लगायत 253, 255 किता 4 कुल रकबा 10.94 है0, खसरा नम्बर 424, 425, 428 किता 3 कुल रकबा 12.34 है0, खसरा नम्बर 426, 427, 514 लगायत 516 किता 5 कुल रकबा 13.47 है0, खसरा नम्बर 401 लगायत 403 किता 3 कुल रकबा 7.94 है0, खसरा नम्बर 400 किता 1 कुल रकबा 4.33 है0, खसरा नम्बर 469 लगायत 479, 481 किता 12 कुल रकबा 14. 65 है0 वाके ग्राम गीलो की ढाणी पटवार हल्का लाडपुर तह0 दांतारामगढ जिला सीकर में वादी व वादी के पिता का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज नाम राजेन्द्र कुमार, राजेन्द्र पुत्र सांवरमल के स्थान पर वादी व वादी के पिता का सही व वास्तिविक नाम राजेश कुमार गीला पुत्र सांवरमल गीला दर्ज किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीं में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

2. वादपत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। वादी ने स्वयं तथा अन्य सहखातेदार अर्जुनसिह पुत्र बक्शाराम के बयान कलमबद्ध किये गये तथा निवेदन किया कि वादी व वादी के पिता का सही नाम राजेश कुमार पुत्र सावंरमल किया जाना सादर प्रार्थनीय है। वकील वादी की बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया गया कि वादी का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज नाम राजेन्द्र कुमार, राजेन्द्र पुत्र सांवरमल के स्थान पर वादी व वादी के पिता का सही व वास्तिविक नाम राजेश कुमार पुत्र सांवरमल दर्ज किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीं में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

3. बहस विद्वान अधिवक्ता वादी पर मनन किया तथा वादपत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। वादी व सहखातेदार के लिए गये कलमबद्ध बयानों का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। सहखातेदार के बयान एवं वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर स्पष्ट है कि वादी का दावा स्वीकार योग्य है। **वादी का दावा उद्घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार किया जाता है तथा भूमि खसरा** 251 लगायत 253, 255 किता 4 कुल रकबा 10.94 है0, खसरा नम्बर 424, 425, 428 किता 3 कुल रकबा 12.34 है0, खसरा नम्बर 426, 427, 514 लगायत 516 किता 5 कुल रकबा 13.47 है0, खसरा नम्बर 401 लगायत 403 किता 3 कुल रकबा 7.94 है0, खसरा नम्बर 400 किता 1 कुल रकबा 4.33 है0, खसरा नम्बर 469 लगायत 479, 481 किता 12 कुल रकबा 14.65 है0 वाके ग्राम गीलो की ढाणी पटवार हल्का लाडपुर तह0 दांतारामगढ जिला सीकर **में दर्ज वादी व वादी के पिता का नाम राजेन्द्र कुमार, राजेन्द्र पुत्र सावंरमल के स्थान पर वादी व वादी के पिता का सही व वास्तिविक नाम राजेश** कुमार **पुत्र सांवरमल दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।** राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 04.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

अंतिम डिकी व मुकद्में इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)

, थ्अपरा त्वववमकनतम ब्वकमए ।वचमदकपग श्क्श . 1द्ध

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ,सीकर

इजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

राजेश कुमार बनाम राज्य सरकार

दावा बाबत उद्घोषणा एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती

मुकदमा नं0 180/दावा सन् 2019 निर्णय दिनांक. 04.01.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अशोक कुमार आर.ए.एस बहाजरी **श्री आनन्द राड़** मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी डिकी किया जाता है तथा **भूमि खसरा** 251 लगायत 253, 255 किता 4 कुल रकबा 10.94 है0, खसरा नम्बर 424, 425, 428 किता 3 कुल रकबा 12.34 है0, खसरा नम्बर 426, 427, 514 लगायत 516 किता 5 कुल रकबा 13.47 है0, खसरा नम्बर 401 लगायत 403 किता 3 कुल रकबा 7.94 है0, खसरा नम्बर 400 किता 1 कुल रकबा 4.33 है0, खसरा नम्बर 469 लगायत 479, 481 किता 12 कुल रकबा 14.65 है0 वाके ग्राम गीलो की ढाणी पटवार हल्का लाडपुर तह0 दांतारामगढ जिला सीकर **में खातेदार वादी व वादी के पिता का नाम राजेन्द्र कुमार, राजेन्द्र पुत्र सावंरमल के नाम को दुरूस्त कर उसके स्थान पर राजेश कुमार पुत्र सांवरमल संशोधित करने की उद्घोषणा की जाती है, शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।**

उपरोक्तानुसार अंतिम डिकी जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो

बीज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

बसब्ब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 04.01.2021 को जारी की गई।

मोहर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ (सीकर)

दस्तखत ओहदा
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	6	00	स्टाम्प वकालतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	मेहनताना वकील पर ...		
मेहनताना वकील	–	–	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमिश्नर ...		
फीस कमिश्नर	–	–	बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	–	मुतफर्रिक	0	00
मुतफर्रिक	8	00		0	00
मीजान	15	00	मीजान	1	00

नोटः इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ